


समाज कल्याण विभाग
दिल्ली सरकार
विज्ञान सभा अंतरांकित प्रश्न संख्या:143
प्रश्नकर्ता: श्री ब्रह्मराज गोविन्द
दिनांक: 30.07.2021

क्या माननीय समाज कल्याण मन्त्री यह बताये की कृपा करेंगे कि:-

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या यह सत्य है कि विभाग ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018 के बाद से नये आवेदन लेने बन्द कर दिए हैं ; और	वृद्धावस्था पेंशन योजना में जहाँ रिक्तियों उपलब्ध हैं वहाँ ऑनलाइन आवेदन लिये जा रहे हैं ।
(ख) वृद्धावस्था पेंशन योजना के पुनः आवेदन कब से शुरू होंगे, पूर्ण विवरण दे ?	यह एक नीतिगत मामला है जिसका निर्णय मन्त्रीमंडल द्वारा लिया जाता है । वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की अधिकतम संख्या सीमा निर्धारित है जो कि वर्तमान में 5.30 लाख है । वर्तमान क्षमता सीमा (capping) के अन्तर्गत उपलब्ध रिक्तियों का सही आंकलन कर लेने के पश्चात् नये आवेदन आमंत्रित किये जा सकेंगे ।


27/07/21
Deputy Director (FAS)
Department of Social Welfare
Govt. of NCT of Delhi